

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2019—माघ 19, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. 2640-37-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 फरवरी 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०१९

विषय-सूची.

धाराएं:

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ६ का संशोधन.
४. धारा ७ का संशोधन.
५. धारा ९ का संशोधन.
६. धारा १० का संशोधन.
७. धारा १२ का संशोधन.
८. धारा १३ का संशोधन.

९. धारा १६ का संशोधन.
१०. धारा १७ का संशोधन.
११. धारा २० का संशोधन.
१२. धारा २२ का संशोधन.
१३. धारा २४ का संशोधन.
१४. धारा २५ का संशोधन.
१५. धारा २९ का संशोधन.
१६. धारा ३४ का संशोधन.
१७. धारा ३५ का संशोधन.
१८. धारा ३९ का संशोधन.
१९. धारा ४३क का अंतःस्थापन.
२०. धारा ४८ का संशोधन.
२१. धारा ४९ का संशोधन.
२२. धारा ४९क और ४९ख का अंतःस्थापन.
२३. धारा ५२ का संशोधन.
२४. धारा ५४ का संशोधन.
२५. धारा ६७ का संशोधन.
२६. धारा ७९ का संशोधन.
२७. धारा १०७ का संशोधन.
२८. धारा ११२ का संशोधन.
२९. धारा १२९ का संशोधन.
३०. धारा १४० का संशोधन.
३१. धारा १४२ का संशोधन.
३२. धारा १४३ का संशोधन.
३३. धारा १६५ का संशोधन.
३४. धारा १६६ का संशोधन.
३५. धारा १७४ का संशोधन.
३६. अनुसूची १ का संशोधन.
३७. अनुसूची २ का संशोधन.
३८. अनुसूची ३ का संशोधन.
३९. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ७ फरवरी, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ फरवरी, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के निर्देश के रूप में किया जाएगा.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(क) खण्ड (४) में, शब्द "अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा १७१ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड १६ में, शब्द "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" के स्थान पर, शब्द "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (१७) में, उपखंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ज) किसी घुड़दौड़ की गतिविधियां जिसमें किसी योगक या बुक मेकर की अनुज्ञप्ति या ऐसे क्लब में अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की गतिविधियां सम्मिलित हैं; और";

(घ) खण्ड (१८) का लोप किया जाए;

(ङ) १ जुलाई, २०१७ से, खण्ड (२१) लोप किया गया समझा जाएगा;

(च) १ जुलाई, २०१७ से, खण्ड (२२) से खण्ड (१११) तक को क्रमशः खण्ड (२१) से (११०) तक पुनर्क्रमांकित किया गया समझा जाएगा;

(छ) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (३५) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खण्ड (ग)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खण्ड (ख)" स्थापित किए जाएं;

(ज) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (६९) में, उपखण्ड (च) में, शब्द और अंक "अनुच्छेद ३७१" के पश्चात् शब्द और अंक "और अनुच्छेद ३७१ज" अंतःस्थापित किए जाएं;

(झ) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (१०२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण.—शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति “सेवा” में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है;”;

(ञ) १ जुलाई, २०१७ से, इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खंड (११०) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(१११) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२);”.

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ के पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“कतिपय परिस्थितियों में उचित अधिकारी के रूप में केन्द्रीय कर के अधिकारियों की प्राधिकारिता”.

धारा ७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ७ में, १ जुलाई, २०१७ से,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द, “चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिये”, के पश्चात्, शब्द “और” अंतःस्थापित किया जाए और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द प्रतिफल के पश्चात्, शब्द “और” का लोप किया जाए और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(तीन) खण्ड (घ) का लोप किया जाए और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(ख) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(१क) जहां उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार प्रदाय का गठन करते हैं वहां उन्हें अनुसूची २ में यथानिर्दिष्ट माल का प्रदाय या सेवा का प्रदाय माना जाएगा.”;

(ग) उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक और अंकों “उपधारा (१) और उपधारा (२)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक, “उपधारा (१), उपधारा (१क) और उपधारा (२)” स्थापित किए जाएं.

धारा ९ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) सरकार, परिषद् की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में, माल या सेवा या दोनों के ऐसे प्रदाय के प्राप्तकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिये दायी है.”.

६. मूल अधिनियम की धारा १० में,—

धारा १० का संशोधन.

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द “उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर,” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर” स्थापित किए जाएं;

(दो) विद्यमान परंतुक में, शब्द “एक करोड़ रुपये” के स्थान पर, शब्द “एक करोड़ पचास लाख रुपये” स्थापित किए जाएं;

(तीन) विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेता है, किसी राज्य में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में के कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पाँच लाख रुपये, जो भी अधिक हों की सेवा (अनुसूची २ के पैरा ६ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) का प्रदाय कर सकेगा.”;

(ख) उपधारा (२) में खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) उपधारा (१) में यथाउपबंधित के सिवाय, वह सेवा के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;”.

७. मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (२) में खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “की उपधारा (१)” का लोप किया जाए.

धारा १२ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द, कोष्ठक और अंक “की उपधारा (२)” का लोप किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (२) में,—

धारा १६ का संशोधन.

(क) खण्ड (ख) में, विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त कर लिया है—

(एक) जहां माल, किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर परिदान किया गया है, चाहे व अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां सेवाएं, किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश और उसकी ओर से प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती हो.”;

(ख) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक “धारा ४१” के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर “धारा ४१ या धारा ४३क” स्थापित किए जाएं.

धारा १७ का
संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(क) उपधारा (३) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “छूट-प्राप्त प्रदाय के मूल्य” में उक्त अनुसूची के पैरा ५ में विनिर्दिष्ट के सिवाय, अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या संव्यवहार का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा.”;

(ख) उपधारा (५) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(क) तेरह से अनधिक व्यक्तियों (चालक सहित) की बैठने की अनुमोदित क्षमता के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता हो, अर्थात् :—

(अ) ऐसे मोटरयानों की आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग—

(एक) निम्नलिखित कराधेय प्रदाय के लिए किया जा रहा हो, अर्थात् :—

(अ) ऐसे जलयान या वायुयान की आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(दो) माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा सेवाएं, सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां तक उनका संबंध खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परन्तु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा—

(एक) जहां खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(दो) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो—

(एक) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(दो) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों का निम्नलिखित प्रदाय—

(एक) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान को लीज, भाड़े या भाटक पर देने के सिवाय जब कि उनका उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा जहां ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित प्रदाय के तत्व के रूप में किया जाता है;

(दो) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता; और

(तीन) कर्मचारियों को अवकाश के दौरान प्रदात यात्रा लाभ जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत:

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो.”

११. मूल अधिनियम की धारा २० में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ग) में, शब्द तथा अंक “प्रविष्टि ८४” के स्थान पर, शब्द अंक और अक्षर, “प्रविष्टि ८४ और ९२क” स्थापित किए जाएं.

धारा २० का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २२ में,—

(क) उपधारा (१) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि सरकार, किसी विशेष प्रवर्ग के राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को दस लाख रुपये से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि अधिसूचित की जाए;”

धारा २२ का संशोधन.

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तीन) अभिव्यक्ति “विशेष प्रवर्ग राज्यों” से अभिप्रेत होंगे, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा उत्तराखण्ड राज्य के सिवाय, संविधान के अनुच्छेद, २७९क के खण्ड (४) के उपखण्ड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य.”

१३. मूल अधिनियम की धारा २४ में, खण्ड (दस) में, शब्द “वाणिज्य आपरेटर” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “जिससे धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है” अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा २४ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा २५ में,—

(क) उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, २००५ में यथापरिभाषित कोई इकाई है या एक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता

धारा २५ का संशोधन.

होने के चलते, उसे एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है.”;

(ख) उपधारा (२) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जो राज्य में कारबार के बहु स्थान का धारक है, को कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए उन शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा.”

धारा २९ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण अथवा निलंबन”;

(ख) उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल की गई रजिस्ट्रीकरण से रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा.”;

(ग) उपधारा (२) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निलंबित कर सकेगा.”

धारा ३४ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ३४ में,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द “कोई कर बीजक जारी किया गया है” के स्थान पर, शब्द “एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं” स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द “जमापत्र” के स्थान पर, शब्द “किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक जमापत्र” स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (३) में,—

(एक) शब्द “कोई कर बीजक जारी किया गया है” के स्थान पर, शब्द “एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं” स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द “नामे पत्र” के स्थान पर, शब्द “किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे पत्र” स्थापित किए जाएं.

१७. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (५) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, धारा ३५ का अर्थात् :- संशोधन.

“परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं स्थानीय प्राधिकरणों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अध्यक्षीन हैं.”

१८. मूल अधिनियम की धारा ३९ में,—

धारा ३९ का संशोधन.

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द “ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए” के स्थान पर, शब्द “ऐसे प्ररूप, रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए” स्थापित किए जाएं;

(दो) “ऐसे कलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व या को” शब्दों का लोप किया जाए;

(तीन) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और रक्षोपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे.”;

(ख) उपधारा (७) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और रक्षोपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व ऐसी विवरणी के अनुसार सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे.”;

(ग) उपधारा (९) में,—

(एक) शब्द “उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं” के स्थान पर, शब्द “ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए” स्थापित किए जाएं;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“परन्तुक वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति पश्चात्, सितम्बर मास या दूसरी तिमाही के लिए विवरणी देने की नियत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की तिथि, जो भी पूर्वोत्तर हो, के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.”

१९. मूल अधिनियम की धारा ४३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा ४३क का अंतःस्थापन.

“४३क. विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया:

(१) धारा १६ की उपधारा (२), धारा ३७ या धारा ३८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदायों के ब्यौरों को सत्यापित, विधिमान्य, उपांतरित या विलोपित करेगा.

- (२) धारा ४१, धारा ४२ या धारा ४३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाए.
- (३) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसे कि विहित की जाए.
- (४) उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत नहीं की गई जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
- (५) जावक प्रदायों में, विनिर्दिष्ट कर की रकम जिसके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उपधारा (३) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा.
- (६) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, संयुक्तः और पृथकतः, ऐसी जावक प्रदायों के संबंध में, जिनके ब्यौरे उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु उनकी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, यथास्थिति फायदा लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे.
- (७) उपधारा (६) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी कि विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया गलती से फायदा लिए गए एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध कर सकेगी.
- (८) जावक प्रदायों के संबंध में प्रक्रिया, रक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा, जिनके ब्यौरे उपधारा (३) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं,—

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(दो) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी व्यतिक्रमित राशि के भुगतान की नियत तारीख से दो मास से अधिक के लिए जारी रहता है ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाए.”

धारा ४८ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ४८ में, उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक “धारा ३९ या धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन विवरणी” के पश्चात्, शब्द “और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन” अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा ४९ का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(क) उपधारा (२) में, शब्द और अंक “धारा ४१” के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर “धारा ४१ या धारा ४३क” स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (५) में,—

(एक) खण्ड (ग) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु राज्य कर के मददे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मददे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;”

(दो) खण्ड (घ) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;”.

२२. मूल अधिनियम की धारा ४९ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

धारा ४९क और
४९ख का
अंतःस्थापन.

“४९क. कतपिय शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग.— धारा ४९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के लिए, केवल तब किया जाएगा, जबकि एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है.

४९ख. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश.— इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा ४९ की उपधारा (५) के खण्ड (ड) और खण्ड (च) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की अनुशंसाओं पर, इनपुट कर प्रत्यय के यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे ऐसे किसी कर के संदाय के उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी.”.

२३. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (९) में, शब्द और अंक “धारा ३७” के स्थान पर, शब्द और अंक “धारा ३७ या धारा ३९” स्थापित किए जाएं.

धारा ५२ का
संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,—

धारा ५४ का
संशोधन.

(क) उपधारा (८) में, खण्ड (क) में, दो बार आए शब्द “शून्य अंकित प्रदायों” के स्थान पर, क्रमशः शब्द “निर्यात” एवं “निर्यातों” स्थापित किए जाएं;

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (२) में,—

(एक) उपखण्ड (ग) में, मद (एक) में, शब्द “विदेशी मुद्रा में” के पश्चात्, शब्द “या भारतीय रूप में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए,” अंतःस्थापित किया जाए;

(दो) उपखण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“ (ड) उपधारा (३) के प्रथम परंतुक के खण्ड (दो) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उत्पन्न होता है, धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;”.

२५. १ जुलाई, २०१७ से मूल अधिनियम की धारा ६७ की उपधारा (२) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा ६७ का
संशोधन.

“जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (१) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिये उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :”.

धारा ७९ का संशोधन.

२६. मूल अधिनियम की धारा ७९ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द “व्यक्ति” में, धारा २५ की उपधारा (४) या यथास्थिति, उपधारा (५) में यथानिर्दिष्ट “सुभिन्न व्यक्ति” सम्मिलित होंगे.”

धारा १०७ का संशोधन.

२७. मूल अधिनियम की धारा १०७ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाईल की गई है, से उद्धृत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संदाय नहीं किया हो.”

धारा ११२ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा ११२ में, उपधारा (८) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) धारा १०७ की उपधारा (६) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाईल की गई है, से उद्धृत विवाद में बकाया कर की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए.”

धारा १२९ का संशोधन.

२९. मूल अधिनियम की १२९ में,—

(क) १ जुलाई, २०१७ से, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर की रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति और, छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो भी कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;”

(ख) उपधारा (६) में, शब्द “सात दिन” के स्थान पर, शब्द “चौदह दिन” स्थापित किए जाएं.

धारा १४० का संशोधन.

३०. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १४० में—

(क) उपधारा (४) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों के विक्रय में लगा हुआ है, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,—”;

(ख) उपधारा (६) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था विद्यमान विधि के अधीन संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्धनिर्मित या निर्मित मालों के इनपुट को स्टॉक में धारित स्टॉक और इनपुट के संबंध में पात्र मूल्यवर्धित कर की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात्:—”

३१. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १४२ में,—

धारा १४२ का संशोधन.

(क) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई हो, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था नियत तारीख से पूर्व छह मास से पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत तारीख को या उसके पश्चात् कारबार के किसी स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा, जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा वापस कर दिया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी के समाधान होने हेतु पहचाने जाने योग्य है:”;

(ख) उपधारा (७) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) आशयित बाहरी देय कर के संबंध में अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पूर्व अथवा उसके पश्चात् की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी तथा यदि कोई रकम, ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणाम के रूप में वसूली योग्य है तो वह विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी.”.

३२. मूल अधिनियम की धारा १४३ में, उपधारा (१) में, खंड (ख) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा १४३ का संशोधन.

“परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा.”.

३३. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १६५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १६५ का संशोधन.

“१६५. विनियम बनाने की शक्ति.

सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगी.”.

३४. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १६६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १६६ का संशोधन.

“१६६. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना.

इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने अथवा जारी किए जाने के पश्चात् राज्य विधान-मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरन्त पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मंडल यथास्थिति, नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाता है या राज्य विधान-मंडल इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि यथास्थिति ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, यथास्थिति इस नियम या विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.”.

धारा १७४ का संशोधन.

३५. १ जुलाई, २०१७ से, मूल अधिनियम की धारा १७४ में,—

(क) उपधारा (२) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(च) कोई कार्यवाहियां, जिनका संबंध किसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हें नियत दिन के पूर्व, उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन संस्थित किया गया है, और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित या निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा;”

(ख) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में मध्यप्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभावित करने के लिए धारा १७३ और उपधारा (१) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा.”

अनुसूची १ का संशोधन.

३६. मूल अधिनियम की अनुसूची १ में, पैरा ४ में शब्द “कराधेय व्यक्ति” के स्थान पर, “व्यक्ति” स्थापित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन.

३७. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, शीर्षक में, शब्द “क्रियाकलापों” के पश्चात् शब्द “या संव्यवहारों” अंतःस्थापित किया जाए और सदैव १ जुलाई, २०१७ से अंतःस्थापित किया गया समझा जाए.

अनुसूची ३ का संशोधन.

३८. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में,—

(क) पैरा ६ के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“७. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल का, ऐसे माल के भारत में प्रवेश किए बिना प्रदाय.

८. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल का प्रदाय.”;

(ख) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण १ के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनःक्रमांकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण २.—पैरा ८ के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “भांडागार में रखे गये माल” का वही अर्थ होगा, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) में उसके लिए समानुदेशित किया गया है.”

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३९. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. 2640-37-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2019

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2019

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 6.
4. Amendment of Section 7.
5. Amendment of Section 9.
6. Amendment of Section 10.
7. Amendment of Section 12.
8. Amendment of Section 13.
9. Amendment of Section 16.
10. Amendment of Section 17.
11. Amendment of Section 20.
12. Amendment of Section 22.
13. Amendment of Section 24.
14. Amendment of Section 25.
15. Amendment of Section 29.
16. Amendment of Section 34.
17. Amendment of Section 35.
18. Amendment of Section 39.
19. Insertion of Section 43 A.
20. Amendment of Section 48.
21. Amendment of Section 49.
22. Insertion of Sections 49A and 49 B.
23. Amendment of Section 52.
24. Amendment of Section 54.
25. Amendment of Section 67.
26. Amendment of Section 79.
27. Amendment of Section 107.
28. Amendment of Section 112.
29. Amendment of Section 129.
30. Amendment of Section 140.
31. Amendment of Section 142.
32. Amendment of Section 143.
33. Amendment of Section 165.
34. Amendment of Section 166.
35. Amendment of Section 174.
36. Amendment of Schedule I.
37. Amendment of Schedule II.
38. Amendment of Schedule III.
39. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2019

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2019

Received the assent of the Governor on the 7th February, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 8th February 2019.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act)—

- (a) in clause (4), for the words "the Appellate Authority and the Appellate Tribunal", the words, bracket and figures "the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of Section 171" shall be substituted;
- (b) in clause (16) for the words "Central Board of Excise and Customs", the words "Central Board of Indirect Taxes and Customs" shall be substituted;
- (c) in clause (17), for sub-clause (h), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
 - "(h) activities of a race club including by way of totalisator or a license to book maker or activities of a licensed book maker in such club; and";
- (d) clause (18) shall be omitted;
- (e) with effect from the 1st day of July, 2017 clause (21) shall be deemed to have been omitted;
- (f) with effect from the 1st day of July, 2017 clauses (22) to (111) shall be deemed to have been renumbered as clauses (21) to (110) respectively;
- (g) in clause (35) as so renumbered, for the word, bracket and letter "clause (c)", the word, bracket and letter "clause (b)" shall be substituted;
- (h) in clause (69) so renumbered, in sub-clause (f), after the word and figure "article 371", the words, figure and letter "and article 371J" shall be inserted;
- (i) in clause (102) so renumbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "services" includes facilitating or arranging transactions in securities;";
- (j) with effect from the 1st day of July, 2017 after the clause (110) so renumbered, the following clause shall be deemed to have been inserted, namely:—

"(111) "the Central Goods and Services Tax Act, 2017" means the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017); "

3. For the marginal heading of Section 6 of the principal Act, the following marginal heading shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 6.**

“Authorisation of officers of central tax as proper officer in certain circumstances”.

4. In Section 7 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,— **Amendment of Section 7.**

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (b), after the words “or furtherance of business;”, the word “and” shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted;

(ii) in clause (c), after the words “a consideration”, the word “and shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted;

(iii) clause (d) shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted;

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:—

“(1A) Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of sub-section (1), they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.”;

(c) in sub-section (3), for the words, brackets and figures “sub-sections (1), and (2)” the words, brackets, figures and letter “sub-section (1), (1A) and (2)” shall be substituted.

5. In Section 9 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 9.**

“(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both.”.

6. In Section 10 of the principal Act,— **Amendment of Section 10.**

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words “in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate”, the words, brackets and figures “in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of Section 9, an amount of tax calculated at such rate” shall be substituted;

(ii) in the existing proviso, for the words “one crore rupees”, the words “one crore and fifty lakh rupees” shall be substituted;

(iii) after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II), of value not exceeding ten per cent of turnover in a State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher.”;

(b) in sub-section (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) save as provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;”.

- Amendment of Section 12.** 7. In Section 12 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a), the words, bracket and figure “sub-section (1) of” shall be omitted.
- Amendment of Section 13.** 8. In Section 13 of the principal Act, in sub-section (2), the words, brackets and figure “sub-section (2) of” occurring at both the places, shall be omitted.
- Amendment of Section 16.** 9. In Section 16 of the principal Act, in sub-section (2),—
- (a) in clause (b), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—
- “**Explanation.**—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services,—
- (i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;
- (ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered persons.”;
- (b) in clause (c), for the word and figure “section 41”, the words, figures and letter “section 41 or section 43A” shall be substituted.
- Amendment of Section 17.** 10. In Section 17 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (3), the following Explanation shall be inserted, namely:—
- “**Explanation.**—For the purposes of this sub-section, the expression “value of exempt supply” shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.”;
- (b) in sub-section (5), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—
- “(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:—
- (A) further supply of such motor vehicles; or
- (B) transportation of passengers; or
- (C) imparting training on driving such motor vehicles;
- (aa) vessels and aircraft except when they are used—
- (i) for making the following taxable supplies, namely:—
- (A) further supply of such vessels of aircraft; or
- (B) transportation of passengers; or
- (C) imparting training on navigating such vessels; or
- (D) imparting training on flying such aircraft;
- (ii) for transportation of goods;
- (ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):
- Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available,—
- (i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purpose specified therein;

- (ii) where received by a taxable person engaged—
- (I) in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft; or
- (II) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;
- (b) the following supply of goods or services or both,—
- (i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

- (ii) membership of a club, health and fitness centre; and
- (iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force.”.

11. In Section 20 of the principal Act, in the Explanation, in clause (c), for the words and figure “under entry 84,”, the words, figures and letter “under entries 84 and 92A” shall be substituted.

Amendment of Section 20.

12. In Section 22 of the principal Act,—

Amendment of Section 22.

- (a) in sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the Government may, at the request of a special category State and on the recommendations of the council, enhance the aggregate turnover referred to in the first proviso from ten lakh rupees to such amount, not exceeding twenty lakh rupees and subject to such conditions and limitations, as may be so notified.”;

- (b) in the Explanation, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iii) the expression “special category States” shall mean the States as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution except the State of Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Utterakhand.”.

13. In Section 24 of the principal Act, in clause (x), after the words “commerce operator”, the words and figure “who is required to collect tax at source under-section 52” shall be inserted.

Amendment of Section 24.

14. In Section 25 of the principal Act,—

Amendment of Section 25.

- (a) in sub-section (1), after the existing proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005, in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the same State.”.

- (b) in sub-section (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that a person having multiple places of business in a State may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed.”.

Amendment of Section 29.

15. In Section 29 of the principal Act,—

- (a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

“Cancellation or suspension of Registration.”;

- (b) in sub-section (1), after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed.”;

- (c) in sub-section (2), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed.”.

Amendment of Section 34.

16. In section 34 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1),—

- (i) for the words “Where a tax invoice has”, the words “where one or more tax invoices have” shall be substituted;

- (ii) for the words “a credit note”, the words “one or more credit notes for supplies made in financial year” shall be substituted;

- (b) in sub-section (3),—

- (i) for the words “Where a tax invoice has”, the words “Where one or more tax invoices have” shall be substituted;

- (ii) for the words “a debit note”, the words “one or more debit notes for supplies made in a financial year” shall be substituted.

Amendment of Section 34.

17. In section 35 of the principal Act, in sub-section (5), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”.

Amendment of Section 39.

18. In Section 39 of the principal Act,—

- (a) in sub-section(1),—

- (i) for the words “in such form and manner as may be prescribed”, the words “in such form, manner and within such time as may be prescribed” shall be substituted;

- (ii) the words “on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof” shall be omitted;
- (iii) the following proviso shall be inserted, namely:—
- “Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall furnish return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.”;
- (b) in sub-section (7), the following proviso shall be inserted, namely:—
- “Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the Government the tax due or part thereof as per the return on or before the last date on which he is required to furnish such return, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.”;
- (c) in the sub-section (9),—
- (i) for the words “in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed”, the words “in such form and manner as may be prescribed” shall be substituted;
- (ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
- “Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year to which such details pertain, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier.”.
19. After section 43 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
- Insertion of Section 43 A.**
- “43A. Procedure for furnishing return and availing input tax credit.**
- (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.
- (2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.
- (3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.
- (4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent. of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.
- (5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

- (6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.
- (7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.
- (8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,—
- (i) within six months of taking registration;
- (ii) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount, shall be such as may be prescribed.”.

Amendment of Section 48.

20. In section 48 of principal Act, in sub-section (2), after the words and figures “return under section 39 or section 44 or section 45”, the words “and to perform such other functions” shall be inserted.

Amendment of Section 49.

21. In section 49 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (2), for the word and figures “Section 41”, the words, figures and letter “Section 41 or section 43A” shall be substituted;
- (b) in sub-section (5),—
- (i) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—
- “Provided that the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;”;
- (ii) in clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:—
- ”Provided that the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;”.

Insertion of Sections 49 A and 49 B.

22. After section 49 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

“49A. Utilisation of input tax credit subject to certain conditions.

Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax or State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully towards such payment.

49B. Order of utilisation of input tax credit.

Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (e) and clause (f) of sub-section (5) of section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax.”.

23. In Section 52 of the principal Act, in sub-section (9), for the word and figures "section 37", the words and figures "section 37 or section 39" shall be substituted. **Amendment of Section 52.**
24. In section 54 of the principal Act,— **Amendment of Section 54.**
- (a) in sub-section (8), in clause (a), for the words "zero-rated supplies" occurring twice, the words "export" and "exports" shall respectively be substituted;
- (b) in the Explanation, in clause (2),—
- (i) in sub-clause (c), in item (i), after the words "foreign exchange", the words "or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India" shall be inserted;
- (ii) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted namely :—
- "(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under section 39 for the period in which such claim for refund arises;"
25. With effect from the 1st day of July, 2017, in sub-section (2) of section 67 of the principal Act, for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 67.**
- "Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, either pursuant to an inspection carried out under sub-section (1) or otherwise, has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things, which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this Act, are secreted in any place, he may authorise in writing any other officer of State tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things."
26. In Section 79 of the principal Act, after sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely :— **Amendment of Section 79.**
- "Explanation.—for the purposes of this section, the word "person" shall include "Distinct Persons" as referred to in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25."
27. In Section 107 of the principal Act, in sub-section (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 107.**
- "(b) a sum equal to ten per cent of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed, subject to a maximum of twenty-five crore rupees."
28. In Section 112 of the principal Act, in sub-section (8), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 112.**
- "(b) in addition to the amount paid under sub-section (6) of section 107, a sum equal to twenty per cent of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, in relation to which the appeal has been filled, subject to a maximum of fifty crore rupees."

Amendment of Section 129.**29. In Section 129 of the principal Act,—**

- (a) with effect from first day of July, 2017, in sub-section (1) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—
“(b) on payment of the applicable tax and penalty equal to the fifty per cent. of the value of the goods reduced by the tax amount paid thereon and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such tax and penalty;”.
- (b) in sub-section (6), for the words “Seven days”, the words “fourteen days” shall be substituted.

Amendment of Section 140.**30. With effect from the 1st day of July, 2017, in Section 140 of the principal Act.—**

- (a) in sub-section (4), for the opening paragraph , the following paragraph shall be substituted, namely:—
“A registered person, who was engaged in the sale of taxable goods as well as exempted goods or tax free goods, by whatever name called, under the existing law but which are liable to tax under this Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger,—”;
- (b) in sub-section (6), for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—
“A registered person, who was either paying tax at fixed rate or paying under the existing law shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions, namely:—”.

Amendment of section 142.**31. With effect from the 1st day of July, 2017, in Section 142 of the principal Act.—**

- (a) in sub-section (1), for the opening paragraph , the following paragraph shall be substituted, namely:—
“(1) where any goods on which tax, if any, had been paid under the existing law at the time of sale thereof not being earlier than six months prior to the appointed day, are returned to any place of business on or after the appointed day, the registered person shall be eligible for refund of the tax paid under the existing law where such goods are returned by a person, other than a registered person, to the said place of business within a period of six months from the appointed day and such goods are identifiable to the satisfaction of the proper officer:”;
- (b) in sub-section (7), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) Every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to any output tax liability intimated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and if any amount becomes recoverable as a result of such appeal, revision, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.”.

32. In Section 143 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 143.**

“Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively.”.

33. With effect from 1st day of July, 2017, for Section 165 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 165.**

“165. Power to make regulations.

The Government may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.”.

34. with effect from 1st day of July, 2017, for Section 166 of the principal Act, the following section shall be substituted. namely:— **Amendment of Section 166.**

166. Laying of rules, regulations and notifications.

Every rule made by the Government, every regulation made by the Government and every notification issued by the Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the State Legislature agrees in making any modification in the rule or regulation or in the notification, as the case may be, or the State Legislature agrees that the rule or regulation or the notification should not be made, the rule or regulation or notification, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation or notification, as the case may be.”.

35. with effect from 1st day of July, 2017, for Section 174 of the principal Act,— **Amendment of Section 174.**

(a) in sub-section(2), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) affect any proceedings including that relating to an appeal, revision, review or reference, instituted before, on or after the appointed day under the said amended Act or repealed Acts or the rules made thereunder and such proceedings shall be continued under the said amended Acts or repealed Acts as if this Act had not come into force and the said Acts had not been amended or repealed.”;

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) The mention of the particular matters referred to in Section 173 and sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958) with regard to the effect of repeal.”.

Amendment of Schedule I.

36. In Schedule I of the principal Act, in paragraph 4, for the words “taxable person”, the word “person” shall be substituted.

Amendment of Schedule II.

37. In Schedule II of the principal Act, in the heading, after the word “ACTIVITIES”, the words “OR TRANSACTIONS” shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

Amendment of Schedule III.

38. In Schedule III of the principal Act,—

(a) after paragraph 6, the following paragraphs shall be inserted, namely :—

“7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.

8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;

(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.”;

(b) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation 2.-For the purposes of paragraph 8, the expression “warehoused goods” shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (No. 52 of 1962).”.

Repeal and saving

39. (1) The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2018 (No.11 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said ordinance, anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.